

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु मुकाम.....

..... कौदलाराम कोरा बनाम मैलाराम कोरा .....

किस्म मुकदमा..... र.० द्यावेदन 111, 128 R.R Act: 144/2022 सन्.....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04/04/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ..... श्रीराम</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128 R.R Act</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... 19/04/2022 को पेश हो।</p>	
19/04/2022	<p>पत्रावली खत पेश हुई। कलुहाय</p> <p>दाखलाने वाली को नोटिस जारी किया जाये</p> <p>कारी दिनांक ..... 26/04/2022</p> <p>इस्तका देकर दिनांक ..... 26/04/2022</p> <p>पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO)</p> <p>बायतु</p> <p>जिला - बाडमेर</p>
26/04/2022	<p>प्रार्थी वकील उपर्युक्त विप्रार्थी/वादी</p> <p>के नोटिस पूर्व में जारी रजिस्टर्ड एडी</p> <p>मिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं</p> <p>हुई है। सीमांत पीठापीत अधिकारी क्र. 812</p> <p>में पद्यारे हुए है। फलः मिशाल इल्लव देडा</p> <p>सागामी दिनांक - 12/05/2022 को पेश हो।</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय  
कमाक बाट / 2022

12/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्राथीगणों  
 के नोटिस पूर्व में जारी रजिस्टर्ड एडी  
 विप्राथीगणों के जिनको 30 दिन के अंदर  
 इस समय उपस्थित हो चुका है जिनको  
 और के नोटिस उपस्थित नहीं हुआ व्यापारिक  
 समय तीन बार कावज लगाई गई है  
 कावज 5-45 pm पर लगाई गई विप्राथीगणों  
 स्वयं या उनकी ओर से नोटिस अधिवक्ता  
 उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्राथीगणों  
 के विरुद्ध एडवोकेट कार्यालय में  
 लाई जाती है अतः वास्तविक पत्रा-  
 वली दिनांक-27/06/2022 को पत्रा वली

27/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्राथीगण बावजूद तामिल  
 अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के  
 अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्राथीगणों के  
 खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्राथीगणों  
 के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कण बने हुए थे जो  
 वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी  
 एवं विप्राथीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा  
 विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की  
 सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी  
 आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार  
 किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का  
 नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को  
 कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि  
 आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के  
 खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मोकें पर कमीशनर शुल्क  
 जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल  
 पत्रावली हो, पत्रावली फैसल. शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,  
 दाखिल दफतर हो।

बायतु  
 जिला - बाइनेर

बायतु  
 जिला - बाइनेर

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाडमेर

क्रमांक : वाद/2022/1116

दिनांक : 27/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. कोहलाराम पुत्र सादुलाराम वगैरा 02,  
जाति जाट, निवासी कोसरिया,  
पटवार मण्डल कोसरिया,  
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. मेसाराम पुत्र चुतराराम वगैरा 17,  
जाति जाट, निवासी कोसरिया,  
पटवार मण्डल कोसरिया,  
तहसील बायतु (बाडमेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 144/2022

#### आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - कोसरिया, पटवार मण्डल - कोसरिया, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 329 रकबा 1.3187 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/1117-21

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कोहलाराम पुत्र सादुलाराम वगैरा 02,
4. विप्रार्थी श्री मेसाराम पुत्र चुतराराम वगैरा 17,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 27/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बाडमेर